

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1968 / 2023

दिनांक : 30.06.2023


सुश्री सीमा चौहान (RJ1011), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर हाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 04.01.2023 से 12.01.2023 तक 09 दिनों का *उपार्जित* अवकाश ।
2. दिनांक 13.01.2023 से 17.02.2023 तक 36 दिनों का *अदेय अवकाश* (Leave Not Due) *(बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)* दिनांक 18.02.2023 से 19.02.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

सुश्री चौहान की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



30.06.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/180/2015/4137

दिनांक : 30.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 3125 दिनांक 03.06.2023 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री सीमा चौहान (RJ1011), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, सीकर ।


30.6.2023
सहायक रजिस्ट्रार